संयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रेषक,

जिलाधिकारी
झॉसी।

सेवा में,

कुलसचिव,
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
झॉसी।

संख्याः 2123/15–एम0सी0/2013 दिनॅाकःजुलाई 23,2013

विषयः– **भूमि की जॅाच के सम्बन्ध में आख्या का प्रेषण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या बु0वि0द्य/सम्ब0/2013/2831 दिनॅाक 11.07.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुक्रम में प्रकरण की जॅाच उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर से करायी गयी।

उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर ने अपनी जॅाच आख्या दिनॅाक 20.7.2013 के द्वारा बिन्दुवार आख्या प्रेषित की गयी जो निम्नवत् हैः–

1– मॉ शारदा महाविद्यालय घुराट के नाम गाटा संख्या 189 रकवा 1.105हे0 भूमि दर्ज अभिलेख है। उक्त भूमि नम्बर 189/1.105हे0 को धारा–143 ज0वि0 अधि0 के तहत अकृषिक घोषित किया जा चुका है।

2– मॉ शारदा महाविद्यालय,घुराट के नाम अंकित भूमि एक ही गाटा संख्या 189 में है।

3– उक्त महाविद्यालय की भूमि ग्रामीण–क्षेत्र के अन्तर्गत आती है।

4– मॉ शारदा महाविद्यालय (प्रस्तावित), झॅासी–छतरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। महाविद्यालय तक पहुॅचने के लिये मुख्य राजमार्ग है जो पर्याप्त चौडा व पक्का है।

5– राजस्व अभिलेख खतौनी फसली वर्ष 1415–20 ग्राम–घुराट के खाता संख्या 332 के खसरा नं0 189/1.105हे0 भूमि मॉ शारदा महाविद्यालय के नाम स्वतन्त्र रूप से दर्ज है। उक्त खा0नं0 189/1.105 में अन्य कोई सहखातेदार नहीं है।

अतः उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर की बिन्दुवार जॅाच आख्या मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(उमेश नारायण पाण्डेय)
अपर जिलाधिकारी(वि0एवंरा0)
कृते जिलाधिकारी,झांसी ।

Received
23/7/13

D:\A.J.A.\A-2\Page-365

प्रबन्धक
मॉं शारदा महाविद्यालय
ग्राम–घुराट, तेजपुरा, झाँसी

Scanned by CamScanner